

झारखण्ड सरकार,

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्यालय, संयुक्त श्रम भवन, डोरण्डा, रांची

रजिस्ट्रेशन सं०- 68

दिनांक - 16. 4. 29.

भवन निर्माण और अन्य कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्ते विनियम) अधिनियम, 1996 की धारा- 7 की उपधारा 3 और अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन, उपबंद्ध में अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए मेसर्स मॉन्ट ब्लैक कंस्ट्रक्शन प्रा० लि० को निम्नलिखित विशिष्टयों से युक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

- 1 नियोजक का नाम एवं पता - श्री गणपति जगवन्दन
श्री साई सिटी, न्यू जगन्नाथपुर, पुन्दाग, रांची

2 उस स्थान का डाक पता/अवस्थिति जहाँ - श्री साई सिटी,
नियोजक द्वारा भवन निर्माण अथवा अन्य न्यू जगन्नाथपुर, पुन्दाग, रांची
निर्माण कार्य किया जाना है।

3 स्थापना का नाम और स्थायी पता - मेसर्स मॉन्ट ब्लैक कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०

4 उस कार्य की प्रकृति जहाँ भवन निर्माण - आवासीय घरों का निर्माण कर्मकार नियोजित किए जाने हैं

5 नियोजक द्वारा किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले भवन कर्मकारों की अधिकतम संख्या - 99 (निन्यानबे)

6 कार्य के प्रारम्भ होने और समाप्त होने की संभावित तारीख - जनवरी 07 से मार्च 2012

7 भवन निर्माण कर्मकारों के नियोजन के लिए सुसंगत अन्य विशिष्टियां -

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर मुद्रा के साथ

यहाँ उपर प्रदान किया गया रजिस्टीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन है। अर्थात्

(क) रजिस्टरीकरण प्रमाण पत्र अस्थानांतरणीय होगा।

(ख) किसी भी दिन नियोजित कर्मकारों या स्थापना में भवन निर्माण कर्मकारों की संख्या रजिस्ट्रीकारण प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी।

(ग) इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के प्रदान के लिए संदत्त की गई फीस अप्रतिदेय होगी,

(घ) भवन निर्माण कर्मकारों को नियोजन द्वारा मजदूरी दर, ऐसे नियोजन में जहाँ वह लागू है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 2) के अधीन निर्दिष्ट दरों से कम नहीं हागी और जहाँ दरें किसी करार, समझौते या पंचाट द्वारा नियत की गई है वहाँ इस प्रकार नियम दरों से कम नहीं होगी।

(d) नियोजक अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों का अनपालन करेगा।